18/5/22 | प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी उप. नहीं बार-बार आवाज दिलायी गई। फिर भी कोई उप. नहीं आया। चुंकि दावा वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रा. पत्र प्रार्थी सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी T.I. खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)